(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-326/1995 विरूद्ध आदेश दिनांक 11.11.1994 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 222/1986-87/निगरानी.

सोहनलाल पिता छगनलाल महाजन
निवासी ग्राम कल्याणपुरा, तहसील झागबा .....आवेदक

विरूद्ध

1. वेसीया पिता नेवला मृतक तर्फे वारिसान:-
   1) सुक्या पिता वैसिया
   2) लिमजी पिता वैसिया
   दोनों निवासी ग्राम संदला, तह. झाबुआ
2. दुटिया पिता नेवला (मृत) द्वारा वारिसान
   1) थावरिया पिता दुटिया
   2) कालिया पिता दुटिया
   दोनों निवासी ग्राम संदला, तहसील झाबुआ
3. वदिया पिता नेवला (मृत) द्वारा वारिसान
   1) जोगी पिता वदिया
      निवासी ग्राम संदला, तहसील झाबुआ
   2) मंगु पिता वदिया मृतक तर्फे वारिसा
      a) खुनसिंग पिता मंगु
      b) ईश्वर पिता मंगु
      निवासी ग्राम संदला तहसील झाबुआ
4. हूरा पिता सोमला
   निवासी ग्राम संदला, तहसील झाबुआ .....अनावेदकगण

श्री योगेश वर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 11.11.1994 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि छानबीन समिति राजस्व निरीक्षक वृत्त-1 झाबुआ द्वारा एक प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी, झाबुआ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम संदला की कृषि भूमि सर्वे नं. 131, 138 नया 184 कुल क्षेत्रफल 3.277 हैक्टेयर सन् 1958-59 में वेसिया दुटिया, वदिया, सोमला पुत्र नेवला के नाम पर भू-अभिलेख में अंकित थी, जो सन् 1979-80 में सोहनलाल पिता छगनलाल के नाम पर अंकित हुई है। अतः प्रकरण में उचित कार्यवाही की जावे। इस प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्र. 31/अ-23/83-84 दर्ज कर दिनांक 24.01.1985 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण शून्य घोषित करते हुए भूमि का आधिपत्य अनावेदकगण को दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा एक अपील कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा आदेश दिनांक 28.07.1987 के द्वारा निरस्त की गई। कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध एक निगरानी अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11.11.1994 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए निगरानी निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रकरण में अभिलेख से यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि दाविया भूमि वर्ष 1958 से आवेदक के आधिपत्य एवं स्वामित्व की रही थी। इस कारण वर्तमान प्रकरण में दाविया भूमि पर धारा 170(ख) के प्रावधान लागू ना होने के कारण अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्ती के योग्य है।

(2) धारा 190 के अंतर्गत केवल नामांतरण पूर्व में प्राप्त स्वत्वों के आधार पर किया जाता है। अंतरण पूर्व में ही होता है, केवल न्यायालय द्वारा उसे मान्यता देकर नामांतरण स्वीकृत किया जाता है। वैसे ही धारा 165(6) के स्पष्टीकरण में लीज को समावेषित नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट है

कि धारा 190 के अंतर्गत यदि कोई गैरकृषक आदिवासी की भूमि पर भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त करने बावद आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, तो धारा 165(6) के अंतर्गत उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होती है। उपरोक्त समस्त वैधानिक स्थिति को ना समझते हुए अधीनस्थ न्यायालयों ने जो आदेश पारित किये हैं, वह विधि अनुकूल ना होने से निरस्ती के योग्य है।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रश्नाधीन प्रकरणों में मध्य भारत भू-आगम एवं कृषकाधिकार विधान 1950 अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, यह माना है, इस संबंध में आवेदक का यह तर्क है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान इस कारण लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त अधिनियम के अंतर्गत आवेदक को अतिक्रामक घोषित नहीं किया गया है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नाधीन प्रकरण में मध्यभारत भू-आगम एवं कृषकाधिकार विधान 1950 के प्रावधान लागू होते नहीं है, किंतु वे समस्त प्रावधान लागू होना मानकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा जो निर्णय पारित किये हैं, वह अवैधानिक होने से निरस्ती योग्य है।

(4) धारा 190 की कार्यवाही के समय चारों ही अनावेदकगण के कथन प्रकरण में अंकित किये गये थे तथा उनके द्वारा यह कथन कि सन् 1968-69 में किये गये थे। इस कथन में चारों ने एक मत से कहा है, कि विवादित भूमि पर आवेदक सोहनलाल का आधिपत्य विगत् 08-10 वर्षों से चला आ रहा है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक का विवादित भूमि पर आधिपत्य सन् 1958 से ही था। वैसे ही उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उन्हें भूमि का मुआवजा मिल चुका है। इस कारण अब वे आवेदक के नामांतरण में कोई आपत्ति नहीं चाहते हैं। इस स्वीकारोक्ति के आधार पर विवादित भूमि पर आवेदक का नामांतरण तहसील आदेश दिनांक 08.05.1968 को नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 34/अ-6/1968-69 में किया गया। राजस्व निर्णय 1986 पृष्ठ 243 में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर यदि नामांतरण में भी अनावेदकगण द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है, तो ऐसे अंतरण कदापि कपटपूर्ण अथवा विधिसम्मत अधिकारों के विपरीत किया जाना नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस दृष्टि से ना देखते जो निर्णय पारित किया है, वह स्पष्ट रूप से अवैधानिक होकर निरस्ती योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अनावेदकगण के असत्य कथन किये हैं कि उनके पास अब केवल 02-02 बीघा जमीन अवशेष है, किंतु सन् 1986-87 में अनावेदकगण के नाम पर 85 बीघा भूमि अंकित थी, किंतु अनावेदकगण के असत्य कथनों पर विश्वास कर प्रश्नाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालयों ने गंभीर वैधानिक भूल की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में छानबीन समिति राजस्व निरीक्षक द्वारा एक प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उचित कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 24.01.1985 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण शून्य घोषित करते हुए भूमि का आधिपत्य अनावेदकगण को दिये जाने का आदेश प्रदान किया गया था, जिसकी अपील आवेदक द्वारा कलेक्टर, झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि कलेक्टर द्वारा निरस्त की गई। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध एक निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो आदेश दिनांक11.11.1994 से निरस्त की गई। इस प्रकार अपर आयुक्त के उक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें परिवर्तन का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: निगरानी निरस्त की जाती है।

इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में अनावेदक पक्ष उपस्थित नहीं रहा है। निचले न्यायालयों में भी वह अनुपस्थित था। अत: कलेक्टर को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह अनावेदक पक्ष के संबंध में जांच कर लेवे तथा यदि उनकी ओर से कोई दावेदार नहीं है तो भूमि को लावारिस मानकर आगे की कार्यवाही भी करें। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कलेक्टर को भेजा जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर